



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)
National Water Development Agency
Ministry of Jal Shakti, Government of India
(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)



क्रमांक: ADMN-12026/1/2021/५९२१-२४

दिनांक 26/07.2022

कार्यालय आदेश सं.३३२/2022

दिनांक 27.01.2022 को आयोजित विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की सिफारिशों के परिणामस्वरूप और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से श्री एन. सतीश कुमार, को कनिष्ठ अभियंता के पद से सहायक अभियंता के पद पर जहाँ है वही के आधार पर लेवल- 7 के वेतन मैट्रिक्स (₹44900-142400/-) में पदोन्नत किया जाता है यह सहायक अभियंता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लागू होगा।

पदोन्नति पर वे एफ. आर. 22(आई)(ए)(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि वे एमएसीपी योजना के अंतर्गत पहले ही वेतन मैट्रिक्स (₹44900-142400/-) के लेवल -7 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

पदोन्नति के निम्नलिखित मामलों के परिणाम के अधीन है :-

- 1) पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी संख्या 13218/2009 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 15.07.2011 से उत्पन्न एसएलपी (सी) संख्या 30621/2011 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित मामले।
- 2) अखिल भारतीय समानता फोरम और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपी (सी) संख्या 3490/2010 में माननीय न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के फैसले से उत्पन्न एसएलपी (सी) संख्या 31288/2017 भारत संघ और अन्य तथा किसी भी अवमानना अदालत में संबंधित अन्य अदालती मामले।
- 3) संबंधित मामले में कोई अन्य अदालती मामले।



(राजेश कुमार)

उपनिदेशक (प्रशा.)

प्रति:-

1. मुख्य अभियंता (दक्षिण), रा.ज.वि.अ., हैदराबाद।
2. अधीक्षण अभियंता, अन्वेषण वृत्त, रा.ज.वि.अ., हैदराबाद।
3. लेखा अधिकारी, रा.ज.वि.अ., साकेत नई दिल्ली।
4. सतर्कता अनुभाग, मुख्यालय, रा.ज.वि.अ., साकेत नई दिल्ली।
5. संबंधित व्यक्ति/ सेवा पुस्तिका/व्यक्तिगत मिसिल।
6. वेब मास्टर, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिट, रा.ज.वि.अ., साकेत नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. महानिदेशक के निजी सचिव, राजविअ।
2. मुख्य अभियंता (मुख्यालय), के निजी सचिव, राजविअ।

